संख्या-01 /2026/ 477 /क0नि0प्र0/26-3-2025-1672195

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊःदिनांकः 05 जनवरी, 2026
समाज कल्याण विभाग

विषयः- सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु/दिव्यांगता के फलस्वरूप दिए जाने वाला मुआवजा।

महोदय,

The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013 प्रदेश में लागू है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के समय-समय पर पारित आदेशों के प्रभावी अनुपालन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा पार्श्वांकित शासनादेश निर्गत करते हुए नगर विकास विभाग,पंचायतीराज विभाग एवं अन्य संबंधित से कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

1. 108/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 10-02-2014
2. 386/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 21-03-2014
3. 744/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 09-06-2014
4. 934/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 08 -07-2014
5. 540/ क0नि0प्र0/26-3-2014-5(94)/2005 दिनांक 09-09-2014
6. 1553/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 19 -11-2014
7. 1629/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 05-12-2014
8. 12 एम0एस0/क0नि0प्र0/26-3-2018-17(47)/2017 दिनांक 07-12-2018
9. 1008/ क0नि0प्र0/26-3-2023- दिनांक 12-12-2023

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का समुचित अनुपालन न होने से भारत सरकार द्वारा पत्र निर्गत किए गए हैं।

2- The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013 की धारा-7 के अन्तर्गत सीवर अथवा सेप्टिक टैंक की परिसंकटमय सफाई

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(Hazardous Cleaning) हेतु किसी व्यक्ति की सेवाएं लिए जाने को प्रतिबन्धित किया गया है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-1330/KNP/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 निर्गत करते हुए दिनांक 05 दिसम्बर 2014 की तिथि से उक्त प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका(सिविल) संख्या-583/2003 सफाई कर्मचारी आन्दोलन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के संबंध में योजित अवमानना वाद (सी) संख्या-132 ऑफ 2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27 मार्च,2014 को आदेश पारित करते हुए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निम्न निर्देश दिए गए हैं –

"… (iii) Identify the families of all persons who have died in sewerage work (manholes, septic tanks) since 1993 and award compensation of Rs. 10.00 Lakhs for each such death to the family members depending on them. ..."

4- रिट याचिका (सिविल) संख्या-324 / 2020 डा0 बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर,2023 को आदेश पारित करते हुए केन्द्र सरकार को निर्देशित किया गया है कि Manual Scavenging को पूर्णतया समाप्त करने के लिए उपाय किए जायं, नीतियां बनायी जायं तथा सभी संबंधित को दिशा निर्देश जारी किए जायं। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 अक्टूबर,2023 में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि संघ द्वारा बनायी गयी नीतियों और गाइडलाइन्स का अनुपालन सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाय तथा संघ सरकार, राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सीवर डेथ के मामलों में रू0 30.00 लाख, स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में रू0 20.00 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में रू0 10.00 लाख की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाय। पुन: रिट याचिका (सिविल) संख्या- 905/2025(PIL-W) के साथ रिट याचिका (सिविल) संख्या-324/2020 डा0 बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में सुनवाई करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर,2025 एवं 19 नवम्बर,2025 को आदेश पारित किए गए हैं:-

<u>आदेश दिनांक 29 अक्टूबर,2025</u>

"1. This court having already passed an order for payment of compensation and the issue regarding the quantum, namely, whether Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) or Rs. 30,00,000/- (Rupees Thirty Lakhs) is to be paid is an issue which is at large. We find no reason for the concerned States including the UTs as well as NCT to make the payment of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) which has already been ordered, expeditiously at any rate within three weeks from today, failing which the Secretaries of respective States shall appear in Person before this Court on the next date of hearing."

<u>आदेश दिनांक 19 नवम्बर,2025</u>

…"2. As evident from the order, the State Government including the Union territories as well as NCT, were directed to make payment of Rs. 10 lacs, failing which the Secretaries of respective States were directed to appear-in-person before this Court. …."

List the matter on 13th January,2026 at 02:00 PM.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- भारत सरकार के पत्र दिनांक 03 दिसम्बर,2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अपने संगत शासनादेशों में संशोधन किया जाना है, जिससे मृत्यु के सभी प्रकरण आच्छादित हो सके। नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं इसी प्रकृति के अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम के कार्यो हेतु उत्तरदायी हैं। अत: ऐसे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई दुर्घटनाओं के सभी मामलों में मुआवजा दिये जाने के संबंध में संबंधित प्राधिकरणों के स्तर से भी समुचित आदेश निर्गत करते हुए अधिनियम, 2013 के प्राविधानों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

यह भी संज्ञान में आया है कि The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013 की धारा-7 के उपबन्धों का जो कोई उल्लंघन कर रहा है, उसके विरूद्ध धारा-9 के उपबन्धों के अनुसार जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अत: नगर विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं संबंधित प्राधिकरण तथा जनपद स्तर से प्रश्नगत ऐक्ट की धारा-7 के उपबन्धों के उल्लंघन हेतु ऐक्ट की धारा-9 के उपबन्धों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

6- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013 की विभिन्न धाराओं के प्राविधानों व संगत नियमों का प्रचार-प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय, ऐक्ट के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही के साथ ही विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/ निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन,नई दिल्ली।
2. सचिव,राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी,विंग,चतुर्थ तल,लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय एवं पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

6. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.बी-912,सेक्टर-सी,महानगर, लखनऊ।
7. समस्त उप निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।